

अचल अधिकारी का कार्यालय

अभिलेख का संख्या- 626(C)

का प्रकार- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

11.07.16

झारखण्ड सरकार के ज्ञापक-2074/रा०, दिनांक-13.05.2016 सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक भू-उत्पत्ति-सह-निरीक्षण सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-आ/अ/वि-119/85/2308/रा०, दिनांक-03.07.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय पत्र संख्या-94/रा०, दिनांक 07.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में मेसर्स द्वारा भूमि का जमाबंदी का प्रारंभ किया गया है।

मौजा- बनलीया ग्राम- 70 तहसील- 46 जिला- 384 संख्या- 33 1/2 एकाड़ की भूमि जो मेसर्स द्वारा, अनायाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के स्वतंत्रता भूमि है, जिसे जमाबंदी लग मौजा के एकाड़ के जिल्द संख्या- 273 पर जमाबंदी रैयत शुभन कुमार के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अचल निरीक्षक द्वारा जमाबंदी के तहत उपर्युक्त विवरणों का भूमि के निरुद्ध कायम जमाबंदी को अचल अधिकारी द्वारा किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अचल निरीक्षक द्वारा सार्वजनिक जांच प्रतिवेदन से पता चलता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध जमाबंदी के आधार पर/ अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/ सारा हुकूमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका अर्थ है कि यह एक राज्य को क्षति काहित करना है।

प्रथम मुद्रांक का प्रारंभ 1950 के अधिनियम 1950 के तहत किया गया है।

अचल अधिकारी द्वारा जमाबंदी के तहत उपर्युक्त विवरणों का भूमि के निरुद्ध कायम जमाबंदी को अचल अधिकारी द्वारा किया गया है।

अभिलेख दिनांक- 19.07.16 को उपर्युक्त किया गया।

लेखापित एवं संशोधित अचल अधिकारी

11/07/16

11/07/16

ग-  
गडार  
-II  
(2)

19.7.16

अभिलेख उपस्थापित नोटिसका तामिला प्राप्ति  
पत्रकार अनुपस्थित। द्वितीय नोटिस निर्गत कर  
अभिलेख दिनांक- 26.7.16 को रखे

अंचल अधिकारी  
गोविन्दपुर

26.7.16

अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिला  
प्राप्ति पत्रकार अनुपस्थित।  
अभिलेख आदेशार्थ रखे।

अंचल अधिकारी  
गोविन्दपुर

सं  
62  
संदि